

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2018

**का.आ. 6335 (अ).**—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कच्चा मांस (शीतित/प्रशीतित) के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण) नियम, 1992 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कच्चा मांस (शीतित / प्रशीतित) के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 2018 है।  
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कच्चा मांस (शीतित / प्रशीतित) के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण) नियम, 1992 के नियम-7ए के उप-नियम (1) के अनुच्छेद (II), के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(ii) प्रसंस्करणकर्त्ता या निर्यातक द्वारा फीस का संदाय पोत पर्यन्त निः शुल्क (एफ.ओ.बी.) मूल्य एवं कर(रों) के 0.20% की दर से, कच्चा मांस (शीतित / शीतित) के प्रति माल के न्यूनतम 500 रुपये के अधीन, उस निर्यात निरीक्षण अभिकरण को किया जाएगा जो प्रति वर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता होगा।”

**नोट :** निर्यातक या प्रसंस्करणकर्त्ता द्वारा प्रति परेषण मानीटरिंग फीस की राशि का भुगतान निकटतम रुपए तक पूर्णकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि का भाग पैसे में हो, तब यदि वह भाग पचास पैसे या अधिक है तो उसे बढ़ा कर एक रुपए कर दिया जाएगा और यदि प्रत्येक भाग पचास पैसे से कम है तो, उसे गणना में नहीं लिया जाएगा।

[फा. सं. 16012/43/2017 – निर्यात निरीक्षण]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

**नोट :** मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 204 दिनांक 15 जनवरी, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना का.आ. 1989 दिनांक 03 सितम्बर, 1993, तथा का.आ. 3023(ई) दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 द्वारा इसमें संशोधन किए गए।

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 2018

**S.O. 6335(E).**— In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, namely: -

1. (1) These rules shall be called the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Export of Raw Meat (Chilled/Frozen) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992, for clause (II) of sub rule (1) of rule 7 A, the following clause shall be substituted, namely: -
 

“(ii). A fee at the rate of 0.20% of free on board (F.O.B) value and tax(s), as applicable, shall be paid by the processor or the exporter subject to a minimum of five hundred rupees per consignment of the Raw Meat (Chilled/Frozen) to the concerned Export Inspection Agency with a maximum of Rs.25 lakhs per annum per exporter or processor.

**Note:** The amount of monitoring fee and tax(s), as applicable, for each consignment paid by the exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee consisting of paise, then, if such part is fifty paise or more, it shall be increased to one rupee and if each part is less than fifty paise, it shall be ignored.”

[F. No. 16012/43/2017 - Export Inspection]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.

**Note:** - The Principal Rules were published in Gazette of India vide S.O. 204 dated the 15th January, 1993 subsequently amended by S.O. 1989 dated the 03rd September 1993 and S.O. 3023(E) dated the 28th December, 2012.